

## शीर्षक

नानुराम पुत्र गोकल खारोल निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थी

## बनाम

1. माधु पिता छगना खारोल निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. उगमा पिता चुन्ना खारोल निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-16.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 913 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 220 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चीड़खेड़ा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 913 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 220 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का जमानत पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी. ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावे। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावे तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ जमानतदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
गंगापुर (भीलवाड़ा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा